न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः 176/2022
जी.सी.एम.एस.नं.: 2022/717

दर्ज दिनांकः 31.07.2022
निर्णय दिनांकः 02/04/2025

1. भोपाल पुत्र रूड़ाराम जाति गुर्जर निवासी बागोरा तह. उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

.....आवेदक

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र रूड़ाराम
2. मंगनाराम पुत्र चन्दूराम
3. बीरबल पुत्र चन्दूराम
4. किशोर पुत्र चन्दूराम
5. मनोहर पुत्र चन्दूराम
6. राधेश्याम पुत्र मंगनाराम
7. अमरचन्द पुत्र गोपीराम
8. सुल्तान पुत्र गोपीराम
9. मामराज पुत्र गोपीराम
10. मनीष पुत्र अमरचन्द सजस्त जाति गुर्जर निवासीगण कांकड़ की ढाणी, बागोरा, तह. उदयपुरवाटी

अनावेदकगण.....

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांकः 02/04/2025

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बागोरा तह. उदयपुरवाटी की सरहद में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. नया 864 व 870 रकबा क्रमशः 0.52 व 0.19 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.71 अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर एकमात्र कब्जा प्रार्थी का है, प्रार्थी ही उसे काश्त करता है, उपरोक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उक्त वर्णित भूमि ख.नं. 864 के दक्षिणी तथा ख.नं. 870 के पश्चिम में चाह की भूमि अवस्थित है तथा ख.नं. 864 के पश्चिम में आवागमन का रास्ता है क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के ही परिवार के सदस्य है, उक्ताधार पर उन्होंने आज के करीब 15 साल पहले प्रार्थी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि ख. नं. 864 के पुर्वी कोने में अप्रार्थी सं. 7 लगायत 9 प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रहवासी मकान निर्माण करना चाहते है, जिस हेतु उन्हे 100 फिट पुर्व से पश्चिम तथा 100 फिट उत्तर से दक्षिण भूमि की आवश्यक्ता है तथा उसके बदले में वे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1705/870 में से ख.नं. 870 से सटकर दक्षिण में देने को तैयार है क्योंकि आपस में पारिवारिक मामला था तथा अविश्वास का कोई कारण नहीं था, उक्ताधार पर प्रार्थी की स्वीकृति व सहमति से अप्रार्थी सं. 7 लगायत 9 ने भुमि ख.नं. 864 की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर मकानों का निर्माण कर लिया था तथा उसके बदले में ख.नं. 870 की दक्षिणी सीमा पर प्रार्थी का कब्जा उत्तर से दक्षिण 100 फिट भूमि पर करवा दिया, इस तरह से प्रार्थी ख.नं. 1705/870 की उत्तरी सीमा पर उत्तर से दक्षिण 100 फिट अपनी भूमि ख.नं. 870 में शामिल करके काश्त करने लग गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

[illegible]ण से आपस में नाराज की तथा विगत 04 माह से घरेलु परिस्थितियों के कारण नाराजगी के आधार तथा संख्याबल में अधिक होने के कारण उन्होंने प्रार्थी के भूमि ख.नं. 864 व 870 तथा 1705/870 की उत्तरी 100 फिट भूमि पर कब्जे को चुनौती देकर लाठी के बल पर मनमानी करके प्रार्थी को उससे बेदखल करने पर आमदा है तथा अब वे दिनांक 10/07/2022 से लगातार धमकी दे रहे है कि प्रार्थी [illegible] प्रस्तुत भूमि को छोडकर चला जावे अन्यथा बुरा नतीजा होगा, उनके पास लाठिया है, वे कानून व खातेदारी अधिकारों को नहीं मानते है तथा इस हेतु उन्होंने कई बार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि में बोये गये बाजरे की फसल को भी नष्ट करने कि अनाधिकृत कार्यवाही की है, इस तरह से समझाने पर भी वे अब दिनांक 20/07/2022 से एकदम से इन्कार है, उक्ताधार पर प्रार्थी न्याय की शरण में आकर प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई व्यादेश सेवामें नियोजित कर रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अनुचित, अनाधिकृत व गैर कानुनी है, जिसमें सफल होने पर प्रार्थी को असीम क्षति कारित होगी, उसे अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि में महरूप होना पड़ेगा, जिसके कारण से उसको अपने भूमि पर काश्त करने से महरूम होने पर उसके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उठ खड़ी होगी तथा अप्रार्थीगण की अनाधिकृत कार्यवाही से प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फँसना पडेगा, वैसे भी अप्रार्थीगण को कानून को हाथ में लेकर एक रिकार्डेड खाते व कब्जे की भूमि को लाठी के बल पर बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, उक्त आधार पर उनकी अनाधिकृत कार्यवाही को रूकवाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई व्यादेश पेश किया जा रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम बागोरा तह. उदयपुरवाटी की सरहद में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. नयार 864 व 870 रकबा क्रमशः 0.52 व 0.19 हैक्टर कुल किता 02 ख.नं. कुल रकबा 0.71 हैक्टर तथा भूमि ख.नं. 1705/870 की उत्तरी 100 फिट भूमि पर ब्लात् कब्जा नहीं करें, निर्माण करके वेस्ट डैमेज नहीं करें, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें, ना ही अधिन्स्था कर्मचारी, नौकर, रिश्तेदार, ऐजेन्ट आदि से करवावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अपप्रार्थीगण की जारी की गई। अनावेदकगण 01 लगायत 10 की ओर से वकील श्री रविन्द्र सिंह उपस्थित न्यायालय आये व अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र ईस आशय का पेश किया कि ग्राम बागोरा के गलत ख.नं. 555, 556, 558, 561 की भूमि रूड़ाराम के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि रही है जिसके हाल ख.नं. 864, 870, 871, 872 हैक्टर उक्त भूमि का सहमति से दिनांक 16.01.2008 को विभाजन किया गया मगर तरमीम गलत मर्ज कर दी गयी क्यों कि वादग्रस्त भूमियों कपर मौके पर जबाब देहन्दागण का ही कब्जा काश्त था जिस बाबत गलत विभाजन प्रस्ताव को दुरूस्त करने हेतु मौके पर कब्जे के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य में आपस में एक बंटवाराना दिनांक 26.03.2020 को 50/- रू के स्टाम्प पेपर पर करके प्रार्थी न अप्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार किया है। उक्त अनुसार ही मौके पर रास्ता की भूमि को छोड़कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज काश्त है जिसकी दुरूस्ती बाबत् अप्रार्थीगण द्वारा एक काउन्टर वाद पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो लम्बित है। अतः जबाब प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता आवेदक/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. नया 864 व 870 रकबा क्रमशः 0.52 व 0.19 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.71 अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर एकमात्र कब्जा प्रार्थी का है, प्रार्थी ही उसे काश्त करता है, उपरोक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उक्त वर्णित भूमि ख.नं. 864 के दक्षिणी तथा ख.नं. 870 के पश्चिम में चाह की भूमि अवस्थित है तथा ख.नं. 864 के पश्चिम में आवागमन का रास्ता है क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के ही परिवार के सदस्य है, उक्ताधार पर उन्होंने आज के करीब 15 साल पहले प्रार्थी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि ख.नं. 864 के पुर्वी कोने में अप्रार्थी सं. 7 लगायत 9 प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रहवासी मकान निर्माण करना चाहते है, जिस हेतु उन्हे 100 फिट पुर्व से पश्चिम तथा 100 फिट उत्तर से

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

भूमि की आवश्यकता है तथा उसके बदले में वे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1705/870 में ख.नं. 870 से हटकर दक्षिण मे देने को तैयार है क्योंकि आपस मे पारिवारिक मामला था तथा अविश्वास का कोई कारण नहीं था, उक्ताधार पर प्रार्थी की स्वीकृति व सहमति से अप्रार्थी स. 7 लगायत 9 ने भूमि ख.नं. 864 की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर मकानो का निर्माण कर लिया था तथा उसके बदले मे ख.नं. 870 की दक्षिणी सीमा पर प्रार्थी का कब्जा उत्तर से दक्षिण 100 फिट भूमि पर करवा दिया, इस तरह से प्रार्थी ख.नं. 1705/870 की उत्तरी सीमा पर उत्तर से दक्षिण 100 फिट अपनी भूमि ख.नं. 870 में शामिल करके काश्त करने लग गया। अप्रार्थीगण ने आपस मे साज की तथा विगत 04 माह से घरेलु परिस्थितियों के कारण नाराजगी के आधार पर तथा संख्याबल मे अधिक होने के कारण उन्होंने प्रार्थी के भूमि ख.नं. 864 व 870 तथा 1705/870 की उत्तरी 100 फिट भूमि पर कब्जे को चुनौती देकर लाठी के बल पर मरमार करके प्रार्थी को उससे बेदखल करने पर आमदा है तथा अब वे दिनांक 10/07/2022 से लगातार धमकी दे रहे है कि प्रार्थी चुपचाप प्रस्तुत भूमि को छोडकर चला जावे अन्यथा बुरा नतीजजा होगा, उनके पास लाठिया है, वे कानून व खातेदारी अधिकारो को नहीं मानते है तथा इस हेतु उन्होंने कई बार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि मे बोये गये बाजरे की फसल को भी नष्ट करने कि अनाधिकृत कार्यवाही की है, इस तरह से समझाने पर भी वे अब दिनांक 20/07/2022 से एकदम से इन्कार है, उक्ताधार पर प्रार्थी न्याय की शरण मे आकर प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई व्यादेश सेवामें नियोजित कर रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अनुचित, अनाधिकृत व गैर कानुनी है, जिसके सफल होने पर प्रार्थी को असीम क्षति कारित होगी, उसे अपनी सहखातेदारी व कब्जे की भूमि से महरूम होना पडेगा, जिसके कारण से उसको अपने भूमि पर काश्त करने से महरूम होने पर उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उठ खडी होगी तथा अप्रार्थीगण की अनाधिकृत कार्यवाही से प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी मे फंसना पडेगा, वैसे भी अप्रार्थीगण को कानून को हाथ मे लेकर एक रिकार्डेड खाते व कब्जे की भूमि को लाठी के बल पर बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम बागोरा तह. उदयपुरवाटी की सरहद मे प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. नया 864 व 870 रकबा क्रमशः 0.52 व 0. 19 हैक्टर कुल किता 02 ख.नं. कुल रकबा 0.71 हैक्टर तथा भूमि ख.नं. 1705/870 की उत्तरी 100 फिट भूमि पर बलात् कब्जा नहीं करें, निर्माण करके वैस्ट डैमेज नहीं करें, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें, ना ही अधिनस्थ कर्मचारी, नौकर, रिश्तेदार, ऐजेन्ट आदि से करवावें।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम बागोरा के गलत ख.नं. 555, 556, 558, 561 की भूमि फकारान के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि रही है जिसके हाल ख.नं. 864, 870, 871, 872 हैक्टर उक्त भूमि का सहमति से दिनांक 16.01.2008 को विभाजन किया गया मगर तरमीम गलत गर्ज कर दी गयी क्यों कि वादग्रस्त भूमियों पर मौके पर जबाब देहन्दागण का ही कब्जा काश्त था जिस बाबत् गलत विभाजन प्रस्ताव को दुरूस्त करने हेतु मौके पर कब्जे के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य में आपस में एक बंटवारानामा दिनांक 26.03.2020 को 50/- रू के स्टाम्प पेपर पर करके प्रार्थी ने अप्राथीगण का कब्जा स्वीकार किया है। उक्त अनुसार ही मौके पर रास्ता की भूमि को छोड़कर प्रार्थी व अप्राथींगण काबिज काश्त है जिसकी दुरूस्ती बाबत् अप्रार्थीगण द्वारा एक काउन्टर वाद पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो लम्बित है। अतः जबाब प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। दिनांक 18.03.2025 को अधिवक्ता अनावेदकगण ने उपस्थित न्यायालय होकर मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु सहमती दी जाहिर की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थी/आवेदक ने कथन किया कि वह उक्त वर्णित भूमि का खातेदार व काश्तकार है। आवेदक उक्त वर्णित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार भी दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

-: आदेश :-

प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकगण व अनावेदकगण उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. नया 864 व 870 रकबा क्रमशः 0.52 व 0.19 हैक्टर कुल किता 02 ख.नं. कुल रकबा 0.71 हैक्टर तथा भूमि ख.नं. 1706/870 की उत्तरी 100 फिट भूमि के संबंध में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश कटानी/डीटेड/डबल डीटेड/प्रचलित रास्ता एवं आवागमन भूमि पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 02/04/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी